रबड़ उत्पाद विनिर्माण के लिए रबड़ अर्जित करने या खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रपत्र डी में आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शन

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी विशेष या सामान्य लाइसेंस के अधीन या शर्तों के अलावा कोई भी व्यक्ति रबड़ बिक्री या बेच और रबड़ प्राप्त या खरीद नहीं कर सकते हैं।

रबड़ नियम 1955 का नियम 40 के अधीन कोई भी विनिर्माता रबड़ खरीद या प्राप्त करने के लिए विशेष लाइसेंस की माँग हेतु बोर्ड को प्रपत्र 'डी' में आवेदन दे सकते हैं। यदि बोर्ड अनुमोदन देता है तो, प्रपत्र 'ई' में लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

उक्त कानूनी उपबंधों के अधीन प्रपत्र 'डी' संलग्न है। आवेदकों के लिए अनुदेश नीचे दिए हैं:-

(क) आवेदन प्रपत्र 'डी' में पूर्ण रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। केवल पूर्ण रूप से भरे आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। यदि साझेदारी फर्म हो तो आवेदन सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना है। लाइसेंस, अनुज्ञप्तिधारी को निर्दिष्ट मात्रा में विशेष ग्रूप/ग्रेड के रबड़ अर्जित करने के लिए होने के कारण आवश्यकता वास्तविकता के आधार पर प्रपत्र 'डी' में दिखानी चाहिए। प्राकृतिक रबड़ का सामान्य ग्रूप/ग्रेड नीचे दिए हैं:

ग्रूप 1 : आर एस एस IX एवं आर एस एस I
ग्रूप 2 : आर एस एस 2, आर एस एस 3 एवं कट्टिंग सं.1
ग्रूप 3 : आर एस एस 4, आर एस एस 5 एवं कट्टिंग सं.2
ग्रूप 4 : प्री कोयागुलेटड क्रीप पी एल सी IX, पी एल सी 1, पी एल सी 2, पी एल सी 3
ग्रूप 5 : ई बी सी सुपर IX, ई बी सी IX, ई बी सी 2X, स्मोक्ड ब्लांकेट एवं रीमिल्ड क्रीप 2
ग्रूप 6 : ई बी सी 3X, रीमिल्ड क्रीप 3 एवं रीमिल्ड क्रीप 4
ग्रूप 7 : फ्लाट बार्क
अन्य : स्क्राप एवं सोल क्रीप
लाटेक्स : परिरक्षित लाटेक्स (सामान्य, संकेन्द्रित कोंसेन्ट्रेट और क्रीम्ड कोंसेन्ट्रेट)
(मात्र शुष्क रबड़ संघटक का वज़न दिखाएं)

तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ ठोस ब्लोक	आई एस एन आर-3 एल, आई एस एन आर 3 सी वी आई एस एन आर-5, आई एस एन आर-10, आई एस एन आर-20 आई एस एन आर – 50 और अन्य रूप

(ख) प्रति वर्ष या आंशिक रूप में लाईसेंस शुल्क की विनिर्दिष्ट दर नीचे दी हैं:-

मात्रा	रकम
(i) 4 टण तक रबड़ अर्जित करने के लिए	115 रुपए (अनुज्ञापन शुल्क 100 रु. + सेवा कर 15 प्रतिशत)

(ii) 4 टण से अधिक रबड़ अर्जित करने के लिए 288 रुपए (अनुज्ञापन शुल्क 250 रु. + सेवा कर 15 प्रतिशत)

निदेशक (अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क), रबड़ बोर्ड के नाम कोट्टयम में देय डिमांड ड्राफ्ट/सममूल्य पर (एट पार) चैक द्वारा शुल्क प्रेषित किया जा सकता है। बाहरी स्टेशनों के चैक या डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोट्टयम-2 (आईएफएससी कोड-CBIN0284150) के रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क खाता सं.3173717326 में नेफ्ट द्वारा भी रकम जमा की जा सकती है। रबड़ बोर्ड वेबसाइट www.rbegp.org.in के लिंक द्वारा ऑनलाइन भुगतान का भी प्रावधान उपलब्ध है।

(ग) अद्यतन विवरणियाँ, रबड़ नियम 1955 के नियम 33 (च) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने और शेष देय उपकर देने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। लेखा बहियों की गैर प्रस्तुति/बोर्ड के किसी अपेक्षाओं का गैर पालन भी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में विलंब ला सकता है। अतः यह आग्रह करता है कि आवेदक से यदि किसी विवरणी/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/रबड़ पर उपकर देय हैं तो बिना विलंब उस को ब्याज सहित चुका दें तथा बिना विलंब बोर्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करें। (विद्यमान लाइसेंसधारियों के मामले में लागू)

(घ) कृपया ध्यान दें कि बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना रबड़ की खरीद/अर्जन रबड़ अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसमें पूर्तिकार और खरीददार दोनों को दंड मिलेगा। केवल रबड़ बोर्ड को लाइसेंस के आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति एवं लाइसेंस शुल्क के प्रेषण से आवेदक वैध लाइसेंसधारी नहीं माना जाएगा जब तक कि आवेदक के नाम रबड़ बोर्ड द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। बोर्ड द्वारा मांगी गयी सभी औपचारिकताएं पूरा करने पर एक संभावित तिथि पर ही लाइसेंस निर्गमित किया जाएगा। अतः वर्तमान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अपना लाइसेंस निर्गमित करना कृपया सुनिश्चित करें। आवेदन का देरी से प्रस्तुत करना या अपूर्ण आवेदन लाइसेंस जारी करना विलंबित करेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से बोर्ड जिम्मेदार नहीं रहेगा। ऐसे असंतोषजनक परिस्थितियों से बचने के लिए आवेदक सुनिश्चित करें कि सभी सांविधिक विवरणियाँ/रिपोर्टें और ब्याज सहित बकाया उपकर देयताएं कोई हों तो प्रस्तुत की है/चुकाया है।

बोर्ड के वेबसाइट www.rbegp.org.in द्वारा ऑनलाइन में आवेदन प्रस्तुत करें तथा उसके बाद एक हस्ताक्षरित कागज़ी प्रति निम्न लिखित पते पर उप निदेशक उत्पाद शुल्क को 30 नवंबर या उससे पूर्व भेजें (विद्यमान लाइसेंस धारियों के मामले में लागू) क्योंकि सभी लाइसेंसों का ऑनलाइन निर्गमन अनिवार्य किया जा रहा है।

उपनिदेशक (उत्पाद शुल्क)
रबड़ बोर्ड, अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क विभाग
सब् जेल रोड, कोट्टयम - 686 002, केरल

(ङ.) यदि कोई लाइसेंसधारी आगे के वर्षों के लिए लाइसेंस नहीं चाहता है तो, उक्त विषय बोर्ड को यथाशीघ्र लिखित रूप में सूचित करें। ऐसे मामले में वर्तमान लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

कारोबार बंद करना, विनिर्माण प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ का उपयोग बंद करना आदि खबर बोर्ड को समय पर रिपोर्ट करना है, जिसपर चूक होने पर विवरणियों की प्रस्तुति, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि देने के लिए खरीद शून्य होने पर भी यूनिट बाध्य होगा।

(च) बोर्ड के साथ सभी पत्राचार में लाइसेंस संख्या/पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।

(छ) अन्य शर्तें

अ. सभी संगत स्तंभ भरें तथा विवरण साफ और स्पष्ट अक्षरों में दें।

आ. जहाँ कहीं आवश्यक हैं सभी कागज़ात संलग्न करें।

इ. कोई भी स्तंभ खाली न छोड दें, लागू नहीं हो तो - भरें - लागू नहीं

ई. आवेदन की मद संख्या 3(सी) के सामने बिना चूक जिला, राज्य और पिन कोड जैसे विवरण दें।

उ. यदि उपलब्ध हों तो एसटीडी कोड, फैक्स सं., ई-मेल पता तथा सेल फोन संख्या दें।

ऊ. इंटरनेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड सेवाएं प्रयुक्त करके ऑनलाइन भुगतान प्रेषण की सुविधा वेबसाइट में उपलब्ध करायी है। ऑनलाइन प्रेषण के लिए उपयोक्ता पंजीयन की आवश्यकता नहीं। परंतु प्रेषण की पुष्टि के बाद प्राप्त यूटीआर संख्या उद्धृत करें/सूचित करें। भुगतान करता के बैंक खाता से मात्र विकलन किये जाने से आदाता खाते में जमा सुनिश्चित नहीं हो जाता है क्योंकि लेनदेन असफल होने की संभानाएं है। अगर कोई ऑनलाइन प्रेषण किसी भी कारणों से असफल रह जाता है कुछ दिनों के अंदर वह बैंक खाते में स्वतः वापस जमा हो जाएगी। ऐसे मामलों में बैंक/शाखा से संपर्क करें।

GUIDELINES FOR FILLING UP APPLICATION IN FORM-D
FOR OBTAINING LICENCE TO PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE
RUBBER FOR MANUFACTURING RUBBER PRODUCT

Under Section 14 of the Rubber Act 1947, No person shall sell or otherwise dispose of, and no person shall buy or otherwise acquire, rubber except under an in accordance with the terms of a general or special licence issued by the Board.

Under Rule 40 of the Rubber Rules 1955, any manufacturer desiring a special licence to purchase or otherwise acquire rubber shall apply to the Board in Form D. If the Board approves, a licence may be issued in Form E.

The Form D under the said provisions of law is appended. Instructions to the applicants are furnished below.

(a) The application in Form 'D' should be completely filled in and signed. Applications complete in all respects shall only be considered. If it is a partnership firm the application should be signed by all the partners. As the licence is issued for enabling the licensee to acquire a specific quantity of particular group/grade of rubber, the requirement should be shown in the Form 'D' application on a realistic basis. The usual groups/grades of natural rubber are shown below.

Group 1: RSS IX and RSS I
Group 2: RSS 2, RSS 3, and Cutting No.1
Group 3: RSS 4, RSS 5 and Cutting No.2
Group 4: Pre coagulated Crepe PLC IX, PLC 1, PLC 2, PLC 3
Group 5: EBC Super IX, EBC IX, EBC 2X, Smoked Blanket and Remilled Crepe 2
Group 6: EBC 3X, Remilled Crepe 3 and Remilled Crepe 4
Group 7: Flat Bark
Others: Scrap and Sole Crepe
Latex : Preserved latex (Normal, Centrifuged Concentrate and Creamed Concentrate)
(weight of Dry Rubber Content only to be shown)

Technically Specified Rubber in Solid Block:
ISNR-3L, ISNR 3 CV
ISNR-5, ISNR-10, ISNR-20
ISNR – 50 and other forms

(b) The prescribed rate of licence fee and Service Tax thereto per financial year or part thereof, is as indicated below:-

Quantity	Amount
(a) For acquiring rubber not exceeding 4 Tonnes	Rs.115/- (Licence fee Rs.100 + Service Tax @15%)
(b) For acquiring rubber above 4 Tonnes	Rs.288/- (Licence fee Rs.250 + Service Tax @15%)

Fees can be remitted by demand draft/at par cheque drawn in favour of the **Director (L&ED), Rubber Board, payable at Kottayam** or by cash at the Rubber Board Head office counter at Kottayam. Amount can also be remitted in Rubber Board's Licensing & Excise

Duty Account No.3173717326 with Central Bank of India, Kottayam - 2 (IFSC Code – CBIN0284150) through NEFT. A provision is also available for online payment through the link of Rubber Board website www.rbegp.org.in.

(c) The application will be considered only if the up to date returns, and the Audit Report prescribed under Rule 33 (f) of the Rubber Rules, 1955 are submitted and cess dues are cleared. Non production of books of accounts/non fulfilling of any requirements of the Board also may delay the process of issue of licence. It is therefore, urged that if any return/ Audit Report/ cess on rubber is due from the applicant, the same shall be cleared with interest if any, and to comply the requirements of the Board without any delay (applicable in the case of existing licensees)

(d) It may please be noted that purchasing/acquiring rubber without having a valid licence issued by the Board is an offence punishable under the Rubber Act in which case both the supplier and buyer would invite penal action. Mere submission of application form for licence and remittance of licence fee to Rubber Board shall not be deemed that the applicant is a valid licence holder unless the licence has been issued by the Board in favour of the applicant. The licence will be issued with prospective effect only after satisfying all formalities as demanded by the Board. So please ensure that licence is issued before expiry of validity of the present licence. Belated filing of application or incomplete application is likely to delay the issue of licence, for which the Board will in no way be held responsible. To avoid such unpleasant situations, applicant shall ensure that all statutory returns /reports and outstanding cess dues with interest, if any, are cleared.

Application should be submitted online through the Board's website www.rbegp.org.in and then send a duly signed hard copy of the same to the Dy.Director (ED) in the following address on or before 30th November (applicable in the case of existing licensees), as issue of all licences through online is being made mandatory.

Dy. Director (Excise Duty)
Rubber Board, Department of Licensing & Excise Duty,
Sub Jail Road, Kottayam, – 686 002, Kerala.

(e) If any licensee does not wish to obtain licence for the subsequent years, the matter shall be intimated to the Board in writing at the earliest. In that case the current licence should also be surrendered. Stoppage of business, dis-continuance of use of natural rubber in the manufacturing process etc., should be reported to the Board in time, failing which the unit will continue to be liable for submission of returns, audit report etc., even if the purchase will be 'Nil'.

(f) Please quote the Licence number/ Registration number in all correspondence with the Board.

(g) Other conditions

a. Fill up all the relevant columns and furnish the details clearly.
b. Enclose copies of all documents wherever necessary.
c. Do not leave any column blank. Fill up 'NA', if not applicable.
d. Details such as District, State and Pin Code shall be furnished without fail against item No.3 (c) in the application.

e. STD Code, Fax No, email address and cell phone number may also furnished, if available.

f. Facility for remitting payment online using internet banking/credit card/debit card services is provided in the website. User registration is not essential for online remittance. The UTR No. received after confirmation of remittance should be quoted/informed. Merely recording a debit in the payer bank account does not ensure credit to payee account as there are chances that the transaction may fail. In case an online remittance was not successful for whatsoever reasons, the same will be automatically refunded to the bank account in a few days. The bank/branch may be contacted in such cases.